भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5021
(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों की शिकायतें

5021. श्री रामभुआल निषादः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से आज की तिथि तक उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्मित आवासों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को उक्त जिले में योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की जानकारी है तथा जिले के चमुर्खा गांव में अपात्र व्यक्तियों को आवास दिए गए हैं, जबकि पात्र व्यक्तियों की शिकायतों पर सुनवाई नहीं की जा रही है; और

(ग) इस मामले की जांच कब तक होने की संभावना है तथा सभी पात्र व्यक्तियों को उक्त योजना के अंतर्गत कब तक शामिल कर लिया जाएगा?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है ताकि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जा सके। दिनांक 27.03.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3.79 करोड़ मकानों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिनमें से 3.58 करोड़ मकानों के लिए स्वीकृति दी गई है और 2.73 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा हो गया है।

यह मंत्रालय राज्यों को लक्ष्य आवंटित करता है तथा इसके पश्चात जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को लक्ष्य का आवंटन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक (दिनांक 27.03.2025 तक) योजना की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

[इकाई संख्या में]

जिले का नाम	राज्य द्वारा दिया गया लक्ष्य	राज्य द्वारा स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
सुल्तानपुर	92,901	92,898	91,933

(ख) और (ग) जी नहीं। योजना के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रशासन के विभिन्न स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत , ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना होता है। शिकायत प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर शिकायतकर्ता की संतुष्टि से शिकायतों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार का एक अधिकारी नामित किया जाता है।
सीपीजीआरएएमएस या अन्य माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों को निवारण हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है क्योंकि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित कर रही है। शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक स्तर पर नामित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते हैं और ये अधिकारी मंत्रालय से शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं।

******